न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **43 / 2024** अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हरीश चन्द्र पुत्र लाधुराम जाति सुथार, निवासी मौखाब खुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 26.09.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 378 / 342, 379 / 125, 380 / 195, 381 / 92 रकबा क्रमशः 9.7043, 5.3985, 4.7753, 0.8822 हैक्टेयर मौजा मौखाब खुर्द, तहसील शिव में आई हुई है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के पिता लाधुराम के नाम दर्ज थी तथा स्व0 लाधुराम के फौत होने पर प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। प्रार्थी के पिता का फौतगी नामांतरकरण भरते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना जांच किये प्रार्थी के घर पर सामान्य बोलचाल के नाम हरचंद पुत्र लाधुराम का अंकन कर दिया गया, जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मातादाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हरीश चन्द्र पुत्र लाधुराम दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज हरचंद पुत्र लाधुराम से प्रार्थी को अपनी पैतृक खातेदारी भूमि पर कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहने पर उक्त आवेदन प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हरचंद पुत्र लाधुराम के स्थान पर हरीश चन्द्र पुत्र लाधुराम दुरस्त करवाने बाबत् पेश किया गया है।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। तहसीलदार शिव से उक्त नाम दुरस्ती के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पुछताछ करने पर हरचंद पुत्र लाधुराम व हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम नाम का एक ही व्यक्ति है। मौजा मौखाब खुर्द, तहसील के खसरा नम्बर 378 / 342, 379 / 125, 380 / 195 [illegible] पुत्र लाधुराम दर्ज है जबकि मौजा मौखाब खुर्द, तहसील शिव के अन्य खसरा [illegible] 35[illegible]01 में प्रार्थी का नाम हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम दर्ज है। खसरा [illegible] कर दिया गया है। प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम ही दर्ज है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदिया एवं नक्शा ट्रेस, फौतगी नामांतरकरण, मतादाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरचंद पुत्र लाधुराम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा न ही कृषि ऋण प्राप्त हो रहा है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी का सही दस्तावेजी नाम हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम बताया गया है। अतः विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम हरचंद पुत्र लाधुराम के स्थान पर हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम दुरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरचंद पुत्र लाधुराम के स्थान पर हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम दुरस्त करने का पेश किया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पुछताछ करने पर हरचंद पुत्र लाधुराम व हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम नाम का एक ही व्यक्ति है। मौजा मौखाब खुर्द, तहसील के खसरा नम्बर 378/342, 379/125, 380/195 में प्रार्थी का नाम हरचंद पुत्र लाधुराम दर्ज है जबकि मौजा मौखाब खुर्द, तहसील शिव के अन्य खसरा नम्बर 357/201 में प्रार्थी का नाम हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम दर्ज है। प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम ही दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ पेश विभिन्न दस्तावेज आधार कार्ड,, मतदाता पहचान, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड आदि के अवलोकन से भी प्रार्थी का नाम हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम होना पाया गया है। यदि प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम दुरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को विभिन्न महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं से महरूम रहना पड़ सकता है। अतः ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नाम दुरस्ती के आवेदन को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मौखाब खुर्द, तहसील शिव के खसरा नम्बर 378/342, 379/125, 380/195 रकबा क्रमशः 9.7043, 5.3985, 4.7733 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए हरचंद पुत्र लाधुराम के स्थान पर हरीशचन्द्र पुत्र लाधुराम दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 26.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:51 IST
Reason: SelfAttested